महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

P19/IV/DRSSA-55/2021-22/ Date 06.12.2021

To

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Payment of Dearness Allowance at increased rate from 01.07.2021 to the employees of Uttarakhand State Government and Autonomous Bodies/ Undertakings, who are drawing pay in the **Sixth Central Pay Scale**. – reg.

Ref: 1. O.M. No. 221/XXVII(7)02/2016, Dehradun Dated 24.09.2021 of Government of Uttarakhand, Finance (G.R.-P.C.) Section-7

2. SSA No P.A./Pension/DR/2021-22/1464 dated 08.11.2021 received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand

I am to enclose herewith the copy of the SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding payment of Dearness Allowance at increased rate from 01.07.2021 to the employees of Uttarakhand State Government and Autonomous Bodies/ Undertakings, who are drawing pay in the Sixth Central Pay Scale. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sd

Sr. Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram

2. The Office of the Accountant General (A&E)
   Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan,
   Kaulagarh, Dehradoon, Pin – 248195
   (For Information)

-Sd-

Sr. Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in फैक्स /Fax: 0471-2330242 टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

P(9)/IV/DRSSA/55
22.11.2021

ACO1
190669
15/11/21

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2021-22/1464 दिनांक- 8/11/2021

DR order Uttarakhand

SSA

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गोहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (संघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

(2)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखंड
"महालेखाकर भवन" कौलागढ़, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 2021-22/ 1564 दिनांक: 08/11/2021

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

विषय:-छठवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/ उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

संलग्न संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 7, संख्या:- **221/XXVII (7) 02/2016** दिनांक: **24.09.2021**

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या–221/XXVII(7)02/2016
देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपकमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–381/XXVII(7)02/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपकमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न–भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए है, के सम्बन्ध में दिनांक 01–07–2019 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन का 164% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या–1/3/ 2018–ई.II(बी)दिनांक 13 अगस्त, 2021 के कम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपकमों के उन कर्मचारियों को, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 164% को दिनांक 01–07–2021 से बढ़ाकर 189% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 164% ही रहेगी।

4. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

5. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान छठवां वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

7. उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक का अवशेष मंहगाई भत्ता एरियर के रूप में नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01–09–2021 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 221 (1)/xxvii(7)02/2016, तद्दिनांक।

342
P19

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
14. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
15. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-UTTARAKHAND
'MAHALEKHAR BHAWAN' KAULAGARH, DEHRADUN-248195

No. PA/Pension/2021-22/1464 Dated 08.11.2021

"SPECIAL SEAL AUTHORIZATION"

To

All Offices of the Principal Accountants General/Accountants General (A&E)

Sub : Payment of Dearness Allowance at increased rate from 01st July, 2021, to the employees of State Government and Autonomous Bodies/Undertakings, who are drawing pay in the Sixth Central Pay Scale.

Enclosed Reference : Additional Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section-7, No:- 221/XXVII/(7)02/2016 dated 24.09.2021.

Sir,

Copies of the above referred Government Order, issued by the Department of Finance, Uttarakhand, are being sent enclosed herewith. You are requested to circulate the above cited order to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and issue directions to take action as per rules and inform this office of the action taken.

Encl. : as above

Yours faithfully,
Sd/-
Sr Accounts Officer/Pension

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
FINANCE (VE.AA.-SA.NI.) SECTION-7
NO. 221/XXVII(7)02/2016
DEHRADUN, DATED 24TH SEPTEMBER, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Payment of Dearness Allowance at increased rate from 01st July, 2021, to the employees of State Government and Autonomous Bodies/Undertakings, who are drawing pay in the Sixth Central Pay Scale.

Vide Department of Finance, Government Order No. 381/XXVII(7)02/2016 dated 05th November, 2019, Dearness Allowance at the rate of 164% of admissible Basic Pay has been sanctioned from 01.07.2019, to those employees of the State Government and Autonomous Bodies/Undertakings, who have exercised option to continue in the pay scales based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission or whose pay and allowances have not been revised in the Seventh Revised Pay Scale due to various reasons.

2. In continuation to Government of India, letter no. 1/3/2018-E II(B) dated 13th August, 2021, the Honourable Governor is pleased to accord sanction to increase the existing rate of dearness allowance of 164% to 189% per month w.e.f. 01.07.2021, admissible to those employees of the State Government and Autonomous Bodies/Undertakings, who are drawing their pay and allowances in the Pay Band/Grade Pay as per the recommendations of the Sixth Central Pay Commission or whose pay has not been revised in terms of the recommendation of the Seventh Pay Commission.

3. The rate of dearness allowance for the period of 01st January, 2020 to 30th June, 2021 shall remain 164% of Basic Pay.

4. This order shall not be applicable suo moto on the Honourable Judges of High Court, Chairman and members of Uttarakhand Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertaking etc. In respect of them, separate orders are required to be issued by the concerned department.

5. This order shall also be applicable on those teaching and non- teaching staff of aided educational institutions funded by the state, under the Department of Education/Technical Education, who are allowed the Sixth Pay Scale similar to Government employees.

6. Other terms and conditions regarding the sanction of Dearness Allowance as prescribed in the Government Orders issued earlier, shall remain in force.

7. The arrear of revised dearness allowance from 01st July, 2021 to 31st August, 2021 shall be paid in cash, to the above employees. Payment of dearness allowance shall be made regularly with pay from 01.09.2021. But the pension contribution of the employees covered by the Contributory Pension Scheme, along with equivalent amount of employer's contribution shall be deposited in the respective account of New Pension Scheme and the remaining amount shall be paid in cash.

Sd/-
(Manisha Panwar)
Addl Chief Secretary

NO. : 221(1)/XXVII(7)02/2016, EVEN DATED
Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. **Accountant General, Uttarakhand, Dehradun**

....

By orders,
Sd/-
(Ganga Prasad)
Additional Secretary